11.06.25

पत्रावली पेश हुई वादी एवं वादी के
वकील हाजिर नहीं। लेकिन आवाजें
दिलाई गयी कोई उपस्थित नहीं आया
अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है पत्रावली
नियमित होकर संचित हो [illegible]
निर्णय सुनाया गया